



उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 216964202242275

गाम क्रमांक : 216964 गाम का नाम / परगना : नूरनगर(लोनी) तहसील : गाजियाबाद जनपद : गाजियाबाद फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1							
खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।							
00444	कृष्णा एसेसटस डवलपर्स प्रा0लि0 / द्वारा डायरेक्टर सौरभ कुमार पुत्र सतीश त्यागी / एम-6 सैकिण्ड फ्लोर आदित्य कारण हब आर.डी.सी. राजनगर गा.बाद मैसर्स हिमगिरि होटल्स प्रा0लि0 / अधिकृत हस्ताक्षरी असवीर सिंह पुत्र सुखवीर सिंह / के0डी0 46 कविनगर गा0बाद	1413फ.	1264 मि.	0.4820		1423-फ. कार्यालय तहसीलदार गाजियाबाद पत्रांक 396/वा0वा0 न0- वसूली अमलदरामद/ 15 दिनांक 6.10.15 द्वारा उपजिलाधिकारी गाजियाबाद के आदेश दिनांक 23.7.15 के अन्तर्गत बाकीदार में कृष्णा एसोसटस डवलपर्स प्रा0लि0 आर0डी0सी0 राजनगर द्वारा सौरव कुमार गाम नूरनगर गा0बाद की अचल सम्पत्ति के ख.न. 1264 रकबा 0.4988 है को स्टाम्प देय की बकाया अकन 2663920/-रु में कुर्क कर लिया गया । एसडी0 तहसीलदार गाजियाबाद । ह.अ.र.का. 30.10.15। 1423-फ. न्यायालय उपजिलाधिकारी / सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) गाजियाबाद वाद स. T20151128015288 अ.धारा 143 उ0प्र0 ज0वि0अधि0 गाम नूरनगर परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद मैसर्स कृष्णा स्टेट डवलपर्स प्रा0लि0 बनाम उ0प्र0 सरकार आदेश दिनांक 18.11.15--- गाम नूरनगर की खतौनी वर्ष	

						1421-1426फ के खाता न. 1126 के ख.न. 1264मि रकबा 0.4988 है. लगनी परतानुसार जिसकी धारा 143 30प्र0 ज0वि0 (1क) उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रभारी कलेक्टर विहित रीति में घोषणा के प्रयोजन के लिए सीमांकन मौके पर कब्जेनुसार को तहसीलदार गाजियाबाद की आख्या , शासनादेशों के क्रम में स्टाम्प अपवचना रोकने के उद्देश्य से इस प्रतिबन्ध के साथ कि विकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय निकाय के विकास एवं निर्माण व भू-उपयोग परिवर्तन तथा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (अधि0सं 1 सन 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) संबन्धी प्राविधान पूर्व की भाँति यथावत लागू रहेंगे, अकृषिक घोषित किया जाता है । एसडी0 (शैलेन्द्र कुमार सिंह) उपजिलाधिकारी गाजियाबाद । ह.अ.र.का. । 1427-फ कार्यालय तहसीलदार गाजियाबाद पत्रांक 683/वा०बा०न० - वसूली अमलदरामद /2017 दिनांक 11.12.19 उपजिलाधिकारी गाजियाबाद के आदेश दिनांक 15.11.19 के अन्तर्गत बाकीदार मै० कृष्णा एस्टेट डवलपर्स प्रा०लि० की अचल सम्पत्ति खसरा सं० 1264, 1265 स्थित ग्राम नूरनगर को रैरा देय की बकाया अंकन रु 1181389 /- रु जमा अन्य में कुर्क कर लिया गया है। ह०अ० तहसीलदार गाजियाबाद । ह.अ.र.का.।
--	--	--	--	--	--	---

1428-फ कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
सिंचाई गाजियाबाद पत्रांक 973/ आठ - अ0जि0अ0
/ भू0अ0 /सि0 गा0बाद दिनांक 02.07.2020 - - रूप
पत्र- 2, (संशोधित परवाना अमलदरामद), भूमि
अध्याप्ति वाद संख्या 2 सन 2011 में उ0प्र0 शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 द्वारा जारी
भूमि अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984
की धारा 6 की विज्ञप्ति संख्या 1689/8-3-13-84
एल्0ए0 13 लखनऊ दिनांक 14.08.2013 के
अनुसार भूमि के अर्जन उपरान्त निम्नलिखित
कृषकगणों की भूमि पर दिनांक 10.01.2014 को
उत्तर प्रदेश सरकार (गाजियाबाद विकास
प्राधिकरण गाजियाबाद) विभाग को कब्जा दिया
जा चुका है। अब भू-अभिलेखों आदि में उपरोक्त
राजकीय सम्पत्ति का अमलदरामद होना
आवश्यक है। पूर्व में जारी परवाना अमलदरामद
को निम्न तालिका के अनुसार संशोधित किया
जाता है। ग्राम नूरनगर, तहसील व जिला
गाजियाबाद, क.स. 21, कृषक का नाम - कृष्ण
एसेसटेट्स डवलपर्स प्रा०लि० एम० 6 सैकिन्ड फ्लोर
आदित्य हब, आर०डी० राजनगर गाजियाबाद
द्वारा डायरेक्टर सौरभ कुमार पुत्र सतीश त्यागी,
खाता खतौनी न.-604, खसरा न. 1264, अध्याप्ति
भूमि का क्षेत्रफल 0.1132 है., क्र०सं० 22, मैसर्स
हिमगिरि होटल्स प्रा०लि० नि० के०डी० 46
कविनगर गाजियाबाद अधिकृत हस्ताक्षरी असवीर
सिंह पुत्र सुखवीर सिंह निवासी 108 कोट गांव
गाजियाबाद, खाता खतौनी न.-604, खसरा न.
1264, अध्याप्ति भूमि का क्षेत्रफल 0.0668
है., मालगुजारी जो कम की जायेगी- 8.90 रु, अर्जन
निकाय- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद। ह.अ.र.का. 29.07.20।

1429-फ कार्यालय तहसीलदार गाजियाबाद पत्रांक
762/वा०बा०न० वसूली अमलदरामद /2021 दिनांक
13.12.2021 उपजिलाधिकारी गाजियाबाद में

